प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

प्रलिम्सि के लयि:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), ज़ीरो प्रीमयिम, सब्सडिी, फसल बीमा

मेन्स के लयि:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सरकारी नीतयिाँ और हस्तक्षेप

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2019-20 में फसल बीमा योजना से बाहर नकिलने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में फरि से शामलि हो गई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):

- **परचिय:**
  - PMFBY को वर्ष 2016 में लॉन्च कयि गया तथा इसे कृषि और कसिान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासति कयि जा रहा है।
  - इसने **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS)** और संशोधति **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS)** को परविर्तति कर दयि।
- **पात्रता:**
  - अधसिूचति क्षेत्रों में अधसिूचति फसल उगाने वाले पट्टेदार/जोतदार कसिानों सहति सभी कसिान कवरेज के लयि पात्र हैं।
- **उद्देश्य:**
  - प्राकृतकि आपदाओं, कीटों और रोगों या कसिी भी तरह से फसल के खराब होने की स्थतिि में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना ताकि कसिानों की आय को स्थरि करने में मदद मलि सके।
  - खेती में **नरिंतरता सुनश्चिति करने के लयि** कसिानों की आय को स्थरि करना।
  - कसिानों को नवीन और आधुनकि कृषि पद्धतयिों को अपनाने के लयि प्रोत्साहति करना।
  - कृषि क्षेत्र के लयि ऋण का प्रवाह सुनश्चिति करना।
- **बीमा कस्ति:**
  - इस योजना के तहत कसिानों द्वारा दी जाने वाली नरि्धारति बीमा कस्ति/प्रीमयिम- खरीफ की सभी फसलों के लयि 2% और सभी रबी फसलों के लयि 1.5% है।
  - वार्षकि वाणज्यिकि तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा कस्ति 5% है।
  - कसिानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमयिम दरें बहुत कम हैं और प्राकृतकि आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के खलिाफ कसिानों को पूरी बीमा राशि प्रदान करने के लयि शेष प्रीमयिम का भुगतान सरकार द्वारा कयि जाएगा।
  - सरकारी सब्सडिी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि शेष प्रीमयिम 90% है, तो भी वह सरकार द्वारा वहन कयि जाएगा।
    - इससे पहले प्रीमयिम दर को सीमति करने का प्रावधान था जसिके परणिामस्वरूप कसिानों को दावों का कम भुगतान कयि जाता था।
    - यह कैपगि प्रीमयिम सब्सडिी पर सरकार के खर्च को सीमति करने के लयि कयि गया था।
    - इस सीमा को अब हटा दयि गया है और कसिानों को बनिा कसिी कटौती के पूरी बीमा राशि।
- **PMFBY के तहत तकनीक का प्रयोग:**
  - **फसल बीमा एप:**
    - यह कसिानों को आसान नामांकन की सुवधिा प्रदान करता है।
    - कसिी भी घटना के घटति होने के 72 घंटों के भीतर फसल के नुकसान की आसान रपिोर्टगि की सुवधिा।
  - **नवीनतम तकनीकी उपकरण:** फसल के नुकसान का आकलन करने के लयि सैटेलाइट इमेजरी, रमिोट-सेंसगि तकनीक, ड्रोन, कृत्रमि बुद्धमित्ता और मशीन लर्नगि का उपयोग कयि जाता है।
  - **PMFBY पोर्टल:** भूमि रिकॉर्ड के एकीकरण के लयि PMFBY पोर्टल की शुरुआत की गई है।
- **हाल ही में हुए बदलाव:**
  - यह योजना पहले ऋणी कसिानों के लयि अनविार्य थी, लेकनि वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने इसे सभी कसिानों के लयि वैकल्पकि बना दयि

है।

    - पहले बीमांकित प्रीमियम दर और किसान द्वारा देय बीमा प्रीमियम दर के बीच के अंतर सहित औसत प्रीमियम सब्सिडी की दर राज्य तथा केंद्र द्वारा साझा की जाती थी एवं राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने बजट से औसत सब्सिडी के अलावा अतिरिक्त सब्सिडी का विस्तार करने के लिये स्वतंत्र थे।
  - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के **तहत गैर-सिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिये बीमा किस्त की दरों पर केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को 30% और सिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिये 25%** तक सीमित करने का निर्णय लिया है। पहले, केंद्रीय सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं थी।

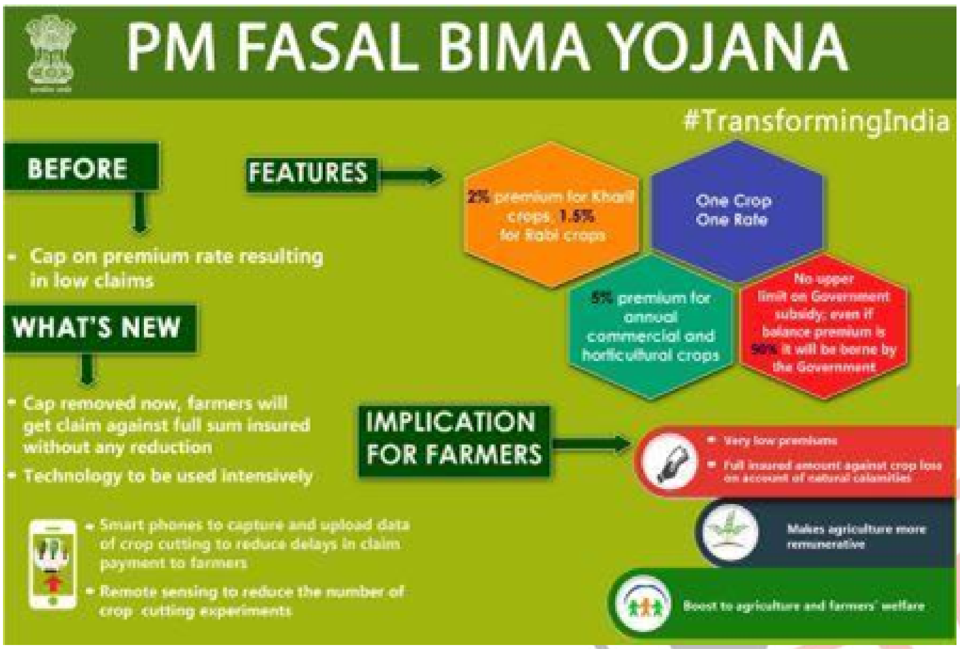

PMFBY से संबंधित मुद्दे:

- **राज्यों की वित्तीय बाधाएँ:** राज्य सरकारों की वित्तीय बाधाएँ और सामान्य मौसम के दौरान कम दावा अनुपात इन राज्यों द्वारा योजना को लागू न करने के प्रमुख कारण हैं।
  - राज्य ऐसी स्थिति से निपटने में असमर्थ हैं जहाँ बीमा कंपनियाँ किसानों को राज्यों और केंद्र से एकत्र किये गए प्रीमियम दर से कम मुआवज़ा देती हैं।
  - राज्य सरकारें समय पर धनराशि जारी करने में विफल रही हैं जिसके कारण बीमा क्षतिपूर्ति जारी करने में देरी हुई है।
  - इससे किसान समुदाय को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है।
- **दावा निपटान संबंधी मुद्दे:** कई किसान मुआवज़े के स्तर और निपटान में देरी दोनों से असंतुष्ट हैं।
  - ऐसे में बीमा कंपनियों की भूमिका और शक्ति अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कई मामलों में उन्होंने स्थानीय आपदा के कारण हुए नुकसान की जाँच नहीं की जिस कारण दावों का भुगतान नहीं किया गया।
- **कार्यान्वयन के मुद्दे:** बीमा कंपनियों द्वारा उन समूहों के लिये बोली लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है जो फसल के नुकसान से प्रभावित हो सकते हैं।
  - बीमा कंपनियाँ अपनी प्रकृति के अनुसार यह कोशिश करती हैं कि फसल कम खराब हो तो मुनाफा कमाया जाए।

आगे की राह

- इस योजना से संबंधित सभी लंबित मुद्दों को हल करने के लिये राज्यों और केंद्र सरकार के बीच व्यापक पुनर्विचार की आवश्यकता है ताकि किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके।
- इसके अलावा इस योजना के तहत सब्सिडी का भुगतान करने के बजाय **राज्य सरकार को उस पैसे को एक नए बीमा मॉडल में निवेश करना चाहिये।**

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016))

1. इस योजना के तहत किसानों को वर्ष के किसी भी मौसम में खेती की जाने वाली किसी भी फसल के लिये दो प्रतिशत का एक समान प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
2. इस योजना में चक्रवातों और बेमौसम बारिश तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को शामिल किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना है।** इसमें प्राकृतिक आपदाओं (चक्रवात और बेमौसम बारिश), कीटों एवं बीमारियों से फसल कटाई से पूर्व तथा बाद के नुकसान को शामिल किया गया है। **अत: कथन 2 सही है।**
- **प्रमुख बिंदु**
  - सभी खरीफ फसलों के लिये किसानों द्वारा केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिये 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
  - वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये 5% प्रीमियम का भुगतान किया जाना है।
  - किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें बहुत कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
  - सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि शेष प्रीमियम 90% है, तो भी वह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  - प्रीमियम की सीमा अब हटा दी गई है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।
  - प्रौद्योगिकी के उपयोग को काफी हद तक प्रोत्त्साहित किया जाता है। किसानों को दावा भुगतान में देरी को कम करने के लिये फसल कटाई के डेटा का एकत्रण और अपलोड करने के लिये स्मार्टफोन का उपयोग किया जाएगा। फसल काटने के प्रयोगों की संख्या को कम करने के लिये रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाएगा। **अतः विकल्प (b) सही है।**

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pradhan-mantri-fasal-bima-yojana-pmfby